

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 15 सन 2022

अनवान :-

1. हरदत्त पुत्र हराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।।
2. शंकर पुत्र सहीराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. महावीर पुत्र गोपीराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. कृष्ण पुत्र हंसराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. इन्द्राज पुत्र हनुमान पुत्र हंसराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. मंजु पुत्री हनुमान पुत्र हंसराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. बाधो पत्नी केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
5. पालाराम पुत्र केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
6. दलीप पुत्र केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
7. हीराराम पुत्र केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
8. नेकीराम पुत्र केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
9. सन्तोष पुत्री केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
10. अनिल कुमार पुत्र पार्वती पुत्री केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. किरण पुत्री पार्वती पुत्री केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर नाबालिगान जरिये सरक्षक पिपा राधेश्याम पुत्र फुसाराम जाति मेधवाल निवासी रामगढ तहसील नोहर।
12. गोगा पुत्री मोटाराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
13. तेजाराम पुत्र गोपीराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
14. पतराम पुत्र मोहनराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
15. पेमाराम पुत्र मोहनराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
16. मंगलाराम पुत्र गोपीराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
17. मेधाराम पुत्र सहीराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
18. मन्जु पुत्री मोटाराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
19. मनफुल पुत्र सहीराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
20. राजेन्द्र पुत्र मोटाराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
21. रामचन्द्र पुत्र गोपीराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
22. रोशनी पुत्री मोटाराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
23. सुलतान पुत्र सहीराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
24. सावत्री पत्नी मोटाराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 27/02/22

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 179 की कुल 19.8080 हैब भूमि सयुक्त खाते में दर्ज है। जिसमें मृतक उमी पत्नी हंसराम का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण का 1/8 हिस्सा, मृतक केसरा का 12377/19840 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 गोगा उर्फ गोमती का 99/9902 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 तेजाराम का 1547/99020 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 पतराम का 6189/99020 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 पेमाराम का 6189/99020 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 मंगलाराम का 1547/99020 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 मेधाराम का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 मंजु का 99/99020 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 19 मनफुल का 1/20 हिस्सा वादी संख्या 3 महावीर का 919/39608 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 राजेन्द्र का 1981/198040 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 21 रामचन्द्र का 1547/99020 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 22 का 99/99020 हिस्सा, वादी संख्या 2 शंकर का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 23 सुलतान का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 24 सावित्री का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1981/198040 हिस्सा मृतक हनुमान का 1/8 हिस्सा वादी संख्या 1 हरदत का 1/8 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उमी पत्नी हंसराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 1 हरदत प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण व मृतक हनुमान है हनुमान के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2,3 है इसीप्रकार केसराराम का देहानत हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 व मृतक पार्वती पुत्री है पार्वती के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 10,11 है इसप्रकार वाद भूमि के जायज वारिसान एव हकदार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है।

प्रतिवादी संख्या 12,22,24 जो मोटाराम की पुत्री/पत्नी एवं प्रतिवादी संख्या 20 की वहन है एवं प्रतिवादी संख्या 12,22,24 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 20 अपने भाई के पक्ष में किया हुआ है इसलिये मोटाराम के हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 20 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11,13 ता 21,23 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पूर्वज एक ही थे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11,13 ता 21,23 ने आपसी सहमति से काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।


वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 को कई मर्तबा कहा की वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजो के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11,13 ता 21,23 के हक हिस्सा की भूमि हे जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उनके पूर्वजो के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है एव रिकार्ड में दर्ज एवं उमी पत्न हंसराम एवं केसराराम का देहान्त होने एव उनके विरासन के देहान्त होने के बाद उनके वारिसान उनके नाम दर्ज भूमि के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 12,22,24 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई के पक्ष में किया हुआ है इसप्रकार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा की भूमि है वादी एव प्रतिवादीगण जो एक ही परिवार के सदस्य है ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल गिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 25 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शागिल गिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की वहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी वहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 179 की कुल 198080 है व भूमि सयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें मृतक उमी पत्नी हंसराम का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण का 1/8 हिस्सा, मृतक केसरा का 12377/19840 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 गोगा उर्फ गोमती का 99/9902 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 तेजाराम का 1547/99020 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 पतराम का 6189/99020 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 पेमाराम का 6189/99020 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 मंगलाराम का 1547/99020 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 मेधाराम का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 मंजु का 99/99020 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 19 मनफुल का 1/20 हिस्सा वादी संख्या 3 महावीर का 919/39608 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 राजेन्द्र का 1981/198040 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 21 रामचन्द्र का 1547/99020 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 22 का 99/99020 हिस्सा, वादी संख्या 2 शंकर का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 23 सुलतान का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 24 सावित्री का 1981/198040 हिस्सा मृतक हनुमान का 1/8 हिस्सा वादी संख्या 1 हरदत का 1/8 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।


उपस्थित अधिकारी
नगर

उमी पत्नी हंसराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 1 हरदत प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण व मृतक हनुमान है हनुमान के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ,3 है इसीप्रकार केसराराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 व मृतक पार्वती पुत्री है पार्वती के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 ,11 है इसप्रकार वाद भूमि के जायज वारिसान एव हकदार वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है।

प्रतिवादी संख्या 12 ,22 ,24 जो मोटाराम की पुत्री/पत्नी एवं प्रतिवादी संख्या 20 की बहन है एव प्रतिवादी संख्या 12 ,22 ,24 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 20 अपने भाई के पक्ष में किया हुआ है इसलिये मोटाराम के हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 20 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ,13 ता 21 ,23 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पूर्वज एक ही थे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ,13 ता 21 ,23 ने आपसी सहमति से काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आर.आर.डी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही गोंजा दुर्जाना के खाता संख्या 179 की कुल 19.8080 हैव भूमि सयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें मृतक उमी पत्नी हंसराम का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण का 1/8 हिस्सा, मृतक केसरा का 12377/19840 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 गोगा उर्फ गोमती का 99/9902 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 तेजाराम का 1547/99020 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 पतराम का 6189/99020 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 पेमाराम का 6189/99020 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 मंगलाराम का 1547/99020 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 गेधाराम का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 मंजु का 99/99020 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 19 मनफूल का 1/20 हिस्सा वादी संख्या 3 महावीर का 919/39608 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 राजेन्द्र का 1981/198040 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 21 रामचन्द्र का 1547/99020 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 22 का 99/99020 हिस्सा, वादी संख्या 2 शंकर का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 23 सुलतान का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 24 सावित्री का 1981/198040 हिस्सा मृतक हनुमान का 1/8 हिस्सा वादी संख्या 1 हरदत का 1/8 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि उमी पत्नी हंसराम फोट हो चुकी है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 है जो उमी के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है तथा केसराराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान बाधो प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 व मृतक पार्वती है पार्वती के वारिसान 10 ,11 है जो केसराराम के नाम दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 12 ,22 ,24 जो प्रतिवादी संख्या 20 की बहने/माता एवं मोटाराम की पुत्रीया/पत्नी है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 12 ,22 ,24 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 एक ही पूर्वज की सन्तान है अर्थात एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने आपसी सहमति से काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का वाहमी बटवारा किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसीप्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण


उपखण्ड अधिकारी
दोहर

काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ,22 ,24 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।


अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशेकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक नृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

सोही गौजा दुर्जाना के खसरा न0 210 की पूर्वी पासा की 5.566हैक भूमि तथा खसरा न0 320 की मध्य की 4.336हैक कुल 9.902हैक भूमि में वादी संख्या 1 हरदत व प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णा का 2/3 हिस्सा बहिब, प्रतिवादी संख्या 2 इन्द्राज व प्रतिवादी संख्या 3 मन्जु का 1/3 हिस्सा बहिब रहेगा।

सोही गौजा दुर्जाना के खसरा न0 210 की पश्चिम पासा की 2.553हैक तथा खसरा न0 320 की पूर्वी पासा की 2.398हैक भूमि कुल 4.951हैक भूमि वादी संख्या 2 शंकर प्रतिवादी संख्या 17 मेधाराम प्रतिवादी संख्या 19 मनफुल प्रतिवादी संख्या 20 राजेन्द्र कुमार व प्रतिवादी संख्या 23 सुलतान बहिब रहेगी।

सोही गौजा दुर्जाना के खसरा न0 320 की पश्चिम पासा की 4.951हैक भूमि वादी संख्या 3 ओमप्रकाश , प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 का 7/32 हिस्सा, बहिब तथा प्रतिवादी संख्या 10 ,11 किरण का 1/32 हिस्सा बहिब एव वादी संख्या 4 महावीर , प्रतिवादी संख्या 13 प्रतिवादी संख्या 16 , प्रतिवादी संख्या 21 का 1/4 बहिब प्रतिवादी संख्या 14 ,15 का 2/4 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तारतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहर (हनुमानगढ)
नाहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

- 1 हरदत पुत्र हंसराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।।
- 2 शंकर पुत्र सहीराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
- 3 ओमप्रकाश पुत्र केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
- 4 महावीर पुत्र गोपीराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. कृष्ण पुत्र हंसराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. इन्द्राज पुत्र हनुमान पुत्र हंसराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. मंजु पुत्री हनुमान पुत्र हंसराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. बाधो पत्नी केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
5. पालाराम पुत्र केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
6. दलीप पुत्र केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
7. हीराराम पुत्र केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
8. नेकीराम पुत्र केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
9. सन्तोष पुत्री केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
10. अनिल कुमार पुत्र पार्वती पुत्री केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. किरण पुत्री पार्वती पुत्री केसराराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर नाबालिगान जरिये संरक्षक पिता राधेश्याम पुत्र फुसाराम जाति मेधवाल निवासी रामगढ तहसील नोहर।
12. गोगा पुत्री मोटाराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
13. तेजाराम पुत्र गोपीराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
14. पतराम पुत्र मोहनराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
15. पेमाराम पुत्र मोहनराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
16. मंगलाराम पुत्र गोपीराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
17. मेधाराम पुत्र सहीराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
18. मन्जु पुत्री मोटाराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
19. मनफुल पुत्र सहीराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
20. राजेन्द्र पुत्र मोटाराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
21. रामचन्द्र पुत्र गोपीराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
22. रोशनी पुत्री मोटाराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
23. सुलतान पुत्र सहीराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
24. सावत्री पत्नी मोटाराम जाति मेधवाल निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 15 सन 2022 निर्णय दिनांक- 07/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना के खसरा न0 210 की पूर्वी पासा की 5.566हैक भूमि तथा खसरा न0 320 की मध्य की 4.336हैक कुल 9.902हैक भूमि में वादी संख्या 1 हरदत व प्रतिवादी संख्या 1 कृष्ण का 2/3 हिस्सा बहिव, प्रतिवादी संख्या 2 इन्द्राज व प्रतिवादी संख्या 3 मन्जु का 1/3 हिस्सा बहिव रहेगा।

रोही मौजा दुर्जाना के खसरा न0 210 की पश्चिम पासा की 2.553हैक तथा खसरा न0 320 की पूर्वी पासा की 2.398हैक भूमि कुल 4.951हैक भूमि वादी संख्या 2 शंकर प्रतिवादी संख्या 17 मेधाराम प्रतिवादी संख्या 19 मनफुल प्रतिवादी संख्या 20 राजेन्द्र कुमार व प्रतिवादी संख्या 23 सुलतान बहिव रहेगी।

रोही मौजा दुर्जाना के खसरा न0 320 की पश्चिम पासा की 4.951हैक भूमि वादी संख्या 3 ओमप्रकाश, प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 का 7/32 हिस्सा, बहिव तथा प्रतिवादी संख्या 10, 11 का 1/32 हिस्सा बहिव एवं वादी संख्या 4 महावीर, प्रतिवादी संख्या 13 प्रतिवादी संख्या 16, प्रतिवादी संख्या 21 का 1/4 बहिव प्रतिवादी संख्या 14, 15 का 2/4 बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)